कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0।

परिपत्रांक [illegible]/अधि09/ शाखा मर्जर / दिनांक लखनऊ 07 नवम्बर 2016

सभापति/ सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
(पार्श्वांकित) जिला सहकारी बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

1--गोरखपुर
2--बस्ती
3--देवरिया
4--सिद्धार्थनगर
5--आजमगढ़
6--बलिया
7--गाजीपुर
8--वाराणसी
9--जौनपुर
10--बहराइच
11--इलाहाबाद
12--फतेहपुर
13--हरदोई
14--सीतापुर
15--फैजाबाद
16--सुल्तानपुर

विषयः-- जिला सहकारी बैंको की गैर स्वाश्रयी शाखाओं को निकटवर्ती शाखा में विलीन करने के सम्बन्ध में।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 16 जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेन्स प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है। उपलब्ध वित्तीय सहायता से सभी 16 जिला सहकारी बैंकों को लाईसेन्स प्राप्त हो गया है।बैंकों के पुनुरुद्धार हेतु तैयार कार्ययोजना को प्रभावी किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार,उ0प्र0 सरकार एवं नाबार्ड के मध्य सहमति ज्ञापन पत्र(एम0ओ0यू0) दिनांक 16.02.2015 को हस्ताक्षरित हुआ है,जिसके प्रस्तर 8 में प्राविधान किया गया है कि व्यवसायिक रणनीति के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंक की गैर स्वाश्रयी शाखाओं को बन्द किया जाय। ऐसी स्थिति में अपेक्षा है कि शाखावार क्रियाकलापों का भली-भाँति परीक्षण कर ले, तथा जो शाखा विगत तीन वर्षो से गैर स्वाश्रयी है और भविष्य में उसके स्वाश्रयी होने की सम्भावना नही है उनको चिन्हांकित कर लिया जाए। इस प्रकार चिन्हांकित शाखाओं का निकट की शाखाओं में समामेलित/विलीनीकरण किया जाय।

गैर स्वाश्रयी शाखा के विलीनीकरण/समामेलन कि सम्बन्ध में संस्तुति करने हेतु निम्न प्रकार कमेटी गठित की जाती है।

1-- उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक,सहकारिता सम्बन्धित मण्डल
2-- सभापति, सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक लि0
3-- सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता, सम्बन्धित जनपद
4-- सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक लि0।

सम्बन्धित बैंक के सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी उक्त कमेटी के समक्ष गैर स्वाश्रयी शाखा के समामेलन/विलीनीकरण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत करेगें जिस पर कमेटी भली-भाँति विचार करते हुए शाखा के समामेलन/विलीनीकरण की संस्तुति बैंक को प्रेषित करेगी। सम्बन्धित बैंक की प्रबन्ध कमेटी समामेलन/विलीनीकरण का निर्णय लेगी । सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रबन्ध कमेटी के लिए गये निर्णय के अनुरूप विलीनीकरण/समामेलन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे, जिसकी सूचना इस कार्यालय के साथ-साथ उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ को प्रेषित की जायेगी।

इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत परिपत्रों को उक्तानुसार संशोधित समझा जाए।

(किशन सिंह अटोरिया)
आयुक्त एवं निबंधक
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

परिपत्रांक [illegible]/अधि09/ शाखा मर्जर / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः--1--समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि वे भी उक्त कार्य का समयान्तर्गत परिपालन सुनिश्चित करायें।
2--समस्त उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबंधक, सहकारिता उ0प्र0।
3--प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4-- क्षेत्रीय निदेशक, नाबार्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(एस0सी0द्विवेदी)
अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक(बैंकिंग)
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।